Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing,
Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110 003.

No. RU-IV/Fin(Central Bank)/MCI/Tour/2017

Dated: 31.08.2017

To,

The Chairman cum Managing Director,
Central Bank of India,
Corporate Office, Chander Mukhi,
Nariman Point, Mumbai - 400 021
MUMBAI – Maharashtra

Sub: Visit of Smt. Maya Chintaman Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes for attending All India Conference on 28.05.2017 at Jalandhar organized by All India Central Bank SC/ST/OBC Employees Federation and Punjab.

Sir,

I am directed to enclose copy of Tour report of Smt. Maya Chintaman Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to State of Punjab and attending All India Conference on 28.05.2017 at Jalandhar, for necessary action.

It is requested that action taken/to be taken in the matter may be sent to the Commission.

Yours faithfully,

31/8/2017
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary
PH: 24657271

5974-75
31/8/17

Copy to:

The Secretary,
All India SC/ST/OBC Employees Federation,
1398, Central Bank Building,
2nd Floor, Chandni Chowk,
Delhi – 110 006.

O/C

प्रवास प्रतिवेदन

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा जालंधर में आयोजित सम्मेलन में भाग लेना तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर (पंजाब) का दौरा रिपोर्ट दिनांक 28.05.2017 से 29.05.2017 तक।

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोग मुख्यालय के बेतार संख्या M(MCI)/NCST/2017/05 दिनांक 24.05.2017 के अनुसार दिनांक 28.05.2017 से 29.05.2017 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्मेलन में श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं सुश्री रेखा कोराम, निजी सहायक के साथ भाग लिया एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर (पंजाब) का दौरा किया।

प्रवास का तिथिवार विवरण इस प्रकार से है :–

दिनांक 28.05.2017 (रविवार)

जालंधर में अखिल भारतीय सैंट्रल बैंक एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।

Smt. Maya Chintama Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

महासंघ के पदाधिकारियों ने श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का ध्यान निम्नलिखित मुद्दों की ओर आकर्षित किया:–

1. सेंट्रल बैंक के बोर्ड में एस.सी./एस.टी. प्रतिनिधि संगठन से एक अधिकारी को नियुक्त किया जाए।
2. संगठन द्वारा यह मांग रखी गई कि अखिल भारतीय संघ एवं सभी युनिटस के मुख्य पदाधिकारियों को हैडक्वाटर से बाहर स्थानान्तरण न किया जाए और इस संबंध में 2002 के प्रबंध तंत्र के निर्देश को जारी रहने दिया जाए, जिन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है उन आदेशों को तुरंत निरस्त किया जाए।
3. संगठन के सदस्यों ने अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव की ओर ध्यानाकर्षण किया।
4. सेंट्रल बैंकएस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी कर्मचारी महासंघ ने सभी यूनिट को कार्यालय न दिए जाने की ओर भी ध्यान दिलाया।

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को निम्नलिखित पर कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है:–

1. सेंट्रल बैंक के बोर्ड में एस.सी./एस.टी. प्रतिनिधि संगठन से एक अधिकारी को नियुक्त किया जाए। जिससे अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के हितों की रक्षा ठीक प्रकार से की जा सके।
2. अखिल भारतीय संघ एवं सभी यूनिटस के मुख्य पदाधिकारियों को हैडक्वाटर से बाहर स्थानान्तरण न किया जाए और इस संबंध में 2002 के प्रबंध तंत्र के निर्देश को जारी रहने दिया जाए, जिन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है उन आदेशों को निरस्त करने की कार्रवाई की जाए।
3. जिन अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा भेदभाव किया गया है उसकी जांच की जाए और संबंधित अधिकारियों को दण्ड दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ भेदभाव न हो।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. जिन अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभागी कार्रवाई में अधिक दण्ड दिया गया है उनके दण्ड को कम करने/निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 29.05.2017 (सोमवार)

जालंधर में सैंट्रल बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ चर्चा।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जालंधर क्षेत्र की 80 शाखाओं में कुल 542 अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिसमें 195 एस.सी, 12 एसटी, 85 ओबीसी और 250 सामान्य वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अधिकारियों ने अवगत कराया कि:–

1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जोनल कार्यालय चण्डीगढ़ (हरियाणा राज्य की शाखाओं को छोड़कर, दिल्ली जोन) में कुल 1642 अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिसमें 614 एससी, 20 एसटी, 302 ओबीसी और 706 सामान्य वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हैं।
2. पंजाब राज्य में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कुल 640 अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिसमें 249 एससी, 03 एसटी, 108 ओबीसी और 280 सामान्य वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हैं।
3. हरियाणा राज्य में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 664 अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिसमें 237 एससी, 01 एसटी, 138 ओबीसी और 288 सामान्य वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हैं।

Smt. Maya Chintamn Ivnat
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

4. जम्मू और कश्मीर राज्य में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कुल 87 अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिसमें 27 एससी, 06 एसटी, 15 ओबीसी और 39 सामान्य वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हैं।

5. हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कुल 212 अधिकारी/कर्मचारी हैं जिसमें 82 एससी, 10 एसटी, 38 ओबीसी और 82 सामान्य वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हैं।
6. चण्डीगढ़ केंद्र शासित राज्य में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कुल 89 अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिसमें 30 एससी, शून्य एसटी, 07 ओबीसी और 52 सामान्य वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हैं।

उपरोक्त जानकारी से अवगत होने के उपरांत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिशत बढ़ाने की सलाह दी।

जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिशत काफी कम है, जबकि इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या पाई जाती है। अतः इन राज्यों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्तियों का प्रतिशत बढ़ाने की कार्यवाही की जाए।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई कि संस्था की गतिविधियों में अखिल भारतीय सेंट्रल बैंक महासंघ के पदाधिकारियों में से अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए संपर्क अधिकारी का कार्य, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशानुसार किया जाना होता है, अतः इस संबंध में संबंधित अधिकारी, संपर्क अधिकारी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिए हुए निर्देशों पर कार्य करने में सहायता करें।

(श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते)
सदस्य,

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi